

नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिक्ट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001।"

पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 जनवरी 2014—माघ 2, शक 1935

कार्यालय कलेक्टर, जिला धमतरी छत्तीसगढ़

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/23/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कारा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आडेकोन्हा	46.950	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	27	कोडेगांव (.)	धमतरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./23/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Adekonha	46.950	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	27	Kodegaon R	Dhamtari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/24/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्खा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	पहरियाकोन्हा	46.189	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	30	अरौद (झ.)	धमतरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./24/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provisions of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Pahariyakonha	46.189	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	30	Aroun 'D'	Dhamtari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/25/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा। अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकमा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	कलारबहरा	59.033	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	30	अरौद (झ.)	धमतरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./25/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Kalarbahra	59.033	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	30	Aroun 'D'	Dhamtari	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/26/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदेबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	जलकुम्भी	127.071	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	13	अमलीडीह	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./26/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jalkumbhi	127.071	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	13	Amlidih	Magarlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/27/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में शिर्षि वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी दोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, दद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, यथात् :—

I. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मूलगांव	330.223	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	15	पठार	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./27/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Mulgaon	330.223	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	15	Pathar	Magarlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/28/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपाठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा। अर्थात् ...

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कम (2)	वनग्राम संमाप्ति (3)	पटवारी हल्का नंबर (4)	ग्राम पंचायत का नाम (5)	तहसील (6)	जिल (7)
1.	पीपरौद	151.352	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	15	पठार	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./29/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Sonarin Daihuan	173.205	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	15	Pathar	Magarlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/30/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपटित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	बोदलाबाहरा	163.809	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	17	बिरझुली	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./28/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Pipraud	151.352	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	15	Pathar	Magarlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/29/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपाठि धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्काबा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (3)	पटवारी हल्का नंबर (4)	ग्राम पंचायत का नाम (5)	तहसील (6)	जिला (7)
1.	सोनारिन तैहान	173.205	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	15	पठार	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No. 21/2013, dated before the Forest and Environment Department, Jharkhand has been provided the relevant information under section 13(1) of the Forest (Conservation) Act, 1980, for the State of Jharkhand, Dhamtari, for the purpose of the Forest (Conservation) Act, 1980, vide notification dated 10th January 2014, vide letter No. 10/2013 dated 10th January 2014.

The relevant information is as follows:-

प्रभाग का नाम : वन विभाग  
प्रभाग की संख्या : १०/२०१३  
दिनांक : १०/१/२०१४

वन विभाग के अधीन विभिन्न वनग्रामों का विवरण निम्नांक है। वनग्रामों का विवरण वन विभाग के अधीन विभिन्न वनग्रामों का विवरण निम्नांक है।

संख्या	वनग्राम का नाम	वनग्राम का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पटवारी का नाम	वनग्राम का पंचायत का नाम	तहसील का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
१	Bukherao	21005	Niyati Jangal Kundanpur Babu Sankar West - Chhatti	?	Majuli	Magardih

वनग्राम का विवरण

वनग्राम का विवरण

वन विभाग के अधीन विभिन्न वनग्रामों का विवरण निम्नांक है। वनग्रामों का विवरण वन विभाग के अधीन विभिन्न वनग्रामों का विवरण निम्नांक है।

वन विभाग के अधीन विभिन्न वनग्रामों का विवरण निम्नांक है। वनग्राम का विवरण वन विभाग के अधीन विभिन्न वनग्रामों का विवरण निम्नांक है।

वन विभाग के अधीन विभिन्न वनग्रामों का विवरण निम्नांक है। वनग्राम का विवरण वन विभाग के अधीन विभिन्न वनग्रामों का विवरण निम्नांक है। वनग्राम का विवरण वन विभाग के अधीन विभिन्न वनग्रामों का विवरण निम्नांक है।

संख्या	वन ग्राम का नाम	वन ग्राम का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी का नाम	वनग्राम पंचायत का नाम	तहसील का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
१.	सरईरुख	177.626	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	17	खड़मा	मगरलोड	धमतरी

## NOTIFICATION

No./30/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Right Committee Dhamtari under the provisions of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. P 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely:—

S. No (1)	Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Bodal Bahara	163.809	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	17	Birjhuli	Magarlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/31/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंटेबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) को धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अथात् :—

स. क्र. (1)	वन ग्राम का नाम (2)	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में) (3)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	बुढ़ाराब	73.205	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	17	मडेली	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./33/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provisions of clause (ii) in sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Giraholadih	86.579	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	17	Khadma	Magarlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/34/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को व्योग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बोईरगांव	116.627	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	17	मारागांव	मगरलोड	धमतरी

Dhaintar, the 10th january 2014

## NOTIFICATION

78/2013.—Whereas the said villages have a right to be called by their original names and the recognition of such names modified, if necessary, will help in the smooth functioning of the panchayats; and in the interest of justice and equity, it is expedient to make further provision in this regard;

PMI, as well as the other components of the PMI, are calculated by the following formulae:

The following exercise of powers by the Central Government under the Constitution of India and the Constitution of Andhra Pradesh - 95  
Circular No. 252, dated, hereby notification is issued that the date of the said exercise of power is the 1st day of April, 1957, and that the said date is the date of this notification, namely :

Sl. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Pattana Hafka Number	Name of Gram Panchayat	Pahasi	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sarairukti	177.626	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	17	Khadma	Magariod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/33/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत बन निवासी (बन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला बन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित बन प्राप्त को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी बन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यह: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधियूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 संहेलित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी लंटोबम्प अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताधरवर्ती में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1956 (क्रमांक २० सन् १९५६) की अंति २३ हाइ अद्वेत शब्दों को एवं उनमें लाहे हुए अंति विकल्प गता है, जिसे निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है—

Dhammikart, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

20/05/2011). Whether the Forest Rights above mentioned below have been provided the recognition of rights (being community forests) under the Forest Rights Act, 2006 (enacted under the provisions of Schedule IV of Constitution) or not, as per the Forest Rights Act, 2006 (Forest Rights Act, 2006 (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

and Whittlebury, Northants. They were found on the 18th December 1913, dated 20/12/13, and the 20th December 1913, dated 21/12/13.

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwar Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tehsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Muroomdih	137.225	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	12	Senjan	Magarter	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/36/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन याम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपरित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बहुविकल्प अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री संहिला, 1959 के अंत 20 अक्टूबर (१९५९) की घण्ट ७/३ हाई प्रदक्षिणियों को प्रश्नों में जवाब दिया।

1988年—1990

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No/34/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to notification as revenue villages by the Forest Rights Committee Directorate under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2006);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. R-4-137/Sector-1/2013 dated 20-01-2014 under Section 3(1) read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declared that forest villages shown in column (2) of schedule below are no longer a village from the date of this publication, namely :-

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Taluk	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Boirgaon	116.627	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	17	Maragaon	Magarlod	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/35/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) को धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	ज़िला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मुर्मडीह	137.225	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	17	सोनझारी	मगरलोड	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No. 437/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of revenue villages relating to identification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (c) or sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2006);

and whereas as per the Revenue Department's Notification No. F-4-137/Section 1/2013 dated 01-01-2013 under Section 73(1)(a) & (b), Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 31 of 1959), the powers of Settlement Officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 31 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village from the date of this notification, namely —

S. No	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Basikhai	222.424	North—Beat 118 South—Beat 122 East—Beat 121 West—Piparchhedi	03	Dokal	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/38/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) को धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपटित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी अंदोब्बत अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	लसुनवाही	326.121	उत्तर—कक्ष 168 दक्षिण—कक्ष 165 पूर्व—कक्ष 166 पश्चिम—कक्ष 166	04	सियादेही	नगरो	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

**N. 38/2014** Whereas the forest villages shown in Schedule I have been declared as revenue villages, therefore, it is decided to declare the following forest villages as revenue villages. The names of the villages are as follows:

सं. क्र.	बन ग्राम का नाम	बन ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	बनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का मंकर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Palwari	242.876	North--Forest South--Forest East--Forest West--Forest	15	Kampti	Margao	Dhamtari

अधिकारी, दिनांक 10 जनवरी 2014।

प्रियोगलिपि

दूसरी ओर इन ग्रामों के अधिकारी द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2014 को दाखिल किया गया है। इन ग्रामों को बनग्राम का दर्जा दिया जाता है। इन ग्रामों को बनग्राम का दर्जा दिया जाता है। इन ग्रामों को बनग्राम का दर्जा दिया जाता है। इन ग्रामों को बनग्राम का दर्जा दिया जाता है।

लालबाल, छत्तीसगढ़ राजसभा भवन, 1959 (उद्धरण का दिन 19.01.2014 को शिवाय दृष्टि दिलेकर दिया गया) में दिन 20.01.2014 अनुमति दिया जाता है। इन ग्रामों के क्षेत्र (2) में निम्न दस ग्राम, उस नामांकित विनायक के दृष्टि दृष्टि दिया जाता है।

सं. क्र.	बन ग्राम का नाम	बन ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	बनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का मंकर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बासीखाई	222.424	उत्तर—कक्ष 118 दक्षिण—कक्ष 122 पूर्व—कक्ष 121 पश्चिम—पिपरछेड़ी	03	डोकाल	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./39/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Kurmajhar	58.479	North—Beat 134 South—Beat 134, 122 East—Beat 135 West—Beat 135	04	Keregaon	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/40/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपाठि धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोब़स्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	खाड़ादाह	184.836	उत्तर—कक्ष 125, 124 दक्षिण—कक्ष 135 पूर्व—कक्ष 124 पश्चिम—कक्ष 138, 136	04	कुम्हड़ा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./38/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Lahsunvahi	326.121	North—Beat 168 South—Beat 165 East—Beat 166 West—Beat 166	04	Siyadehi	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/39/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	कुरमाझर	58.479	उत्तर—कक्ष 134 दक्षिण—कक्ष 134, 122 पूर्व—कक्ष 135 पश्चिम—कक्ष 135	04	केरेगांव	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./40/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-I/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i.	Khadadah	184.836	North—Beat 125, 124 South—Beat 135 East—Beat 124 West—Beat 138, 136	04	Kumhada	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/41/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपरित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i.	गेदगापारा	107.666	उत्तर—कक्ष 153 दक्षिण—नदी पूर्व—कक्ष 153 पश्चिम—दूबान	05	भोथापारा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./41/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Sevin-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Taluk	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Gedrapara	107.666	North—Beat 153 South—River East—Beat 153 West—Duban	05	Bnothapara	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/42/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपाठि धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम जा गठन करने संबंधी बंदोब़ूत अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	डोकाल	180.641	उत्तर—कक्ष 108, 107 दक्षिण—कक्ष 126 पूर्व—कक्ष 108 पश्चिम—कक्ष 129, 107	06	डोकाल	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./43/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Saraitola	196.075	North—Koli Yari South—Guhannala East—Forest West—Forest	09	Guhannala	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/44/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपटित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरक्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	पालगांव	167.258	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	10	कौहाबाहरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./42/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Dokal	180.641	North—Beat 108, 107 South—Beat 126 East—Beat 108 West—Beat 129, 107	06	Dokal	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/43/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया हैं।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	सरईटोला	196.075	उत्तर—कोलियारी दक्षिण—गोहाननाला पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	09	गोहाननाला	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./44/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1) (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Palgaon	167.258	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	10	Kauhabahra	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना,

क्रमांक/45/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकमा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	कोहिनपारा	122.613	उत्तर—जंगल दक्षिण—गट्टासिल्ली पूर्व—गेदरा पश्चिम—जंगल	10	गेदरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./45/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of Settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Kohinpara	122.613	North—Forest South—Gattasilli East—Gendra West—Forest	10	Gendra	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/46/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी दोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, इर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	नेगीनाला	234.204	उत्तर—आमानाला दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	10	गोविन्दपुर	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./44/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Palgaon	167.258	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	10	Kauhabahra	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/45/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपटित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा,

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	कोहिनपारा	122.613	उत्तर—जंगल दक्षिण—गट्टासिल्ली पूर्व—गेदरा पश्चिम—जंगल	10	गेदरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./45/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Kohinpara	122.613	North—Forest South—Gattasilli East—Gendra West—Forest	10	Gendra	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/46/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में शिर्षक वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी दोबस्त अधिकारियों वाली शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, पर्याप्त :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कम (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	नेगीनाला	234.204	उत्तर—आमानाला दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	10	गोविन्दपुर	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./46/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Neginala	234.204	North—Aamanala South—Forest East—Forest West—Forest	10	Govindpur	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/47/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 संहिता धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	गोविन्दपुर	296.883	उत्तर—आमानला दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	10	गोविन्दपुर	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No. 47/2013. - Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights referring to "forest" - certain as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. R-4-137/Seven-I/2013 dated 01-01-2014 under Section 50 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of sufficient officer, relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declared that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :-

S. No.	Name of forest village	Total area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Petwar Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Govindpur	298.883	North—Aamanala South—Forest East—Forest West—Forest	10	Govindpur	Nagri	Dhamtari

अधिकारी, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

प्रधानमंत्री

कामनाः प्रभाग 13 - यथा: उत्तरी सुदूर राज्य की लौटी भूमि राजस्व वन विभाग (जन अधिकारों की मान्यता) आंशिक रूप से वन विभाग के अधीन लायी गयी थी। वन विभाग (1) के वनवासी (2) के लिए वन विभाग (3) के अधिकार वनवासी (4) के वनवासी (5) के अधिकार वनवासी (6) के अधिकार वनवासी (7) के अधिकार वनवासी (8) के अधिकार हैं।

लंगे, गोदा, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की दुर्दिलता वन विभाग 13-137/रेव-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के अन्तर्गत से वनवासी (1) वनवासी (2) की भूमि 23 लाख 73 वर्ग मीटर का अवृत्त राजस्व ग्राम का गुण करने सेवनी की गई है।

वनवासी (1) वनवासी (2) को वनवासी (3) के अधिकार वनवासी (4) के अधिकार वनवासी (5) के अधिकार वनवासी (6) के अधिकार वनवासी (7) के अधिकार वनवासी (8) के अधिकार हैं।

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1.	खैरभरी	252.776	उत्तर—जंगल दक्षिण—आमानाला पूर्व—गोदानाला पश्चिम—जंगल	10	करैहा	नगरी	धमतरी
----	--------	---------	---	----	-------	------	-------

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No. 148/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dharmoti under the provision of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2006);

Whereas as per the Revenue Department's Notification No. R-4-137/Seven/17/2013 dated 01-01-2014 in force in accordance with Section 73 of the Chittagong Land Revenue Code, 1959 (No. 21 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh<sup>1</sup> and Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declared that forest village shown in column (2) of sched<sup>2</sup> below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Khairbharri	252.776	North—Forest South—Aamanala East—Gondlanala West—Forest	10	Karaiha	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/49/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के हाथां नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम के राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) को धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी लंटोबलूत अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकां में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होंगा,

सं. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कड़ी (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीधाएँ	पटबारी नम्बर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
१	रावगांव	136.803	उत्तर—जगता दांधारा—जगता पर्वत—जगता सामाजिक—जगता	१२	चोटीगढ़	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No /49/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Dabgaon	136.803	North—Forest South—Forest East—Forest West—Ghotgaon	12	Ghotgaon	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/50/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एवं राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	झुंझराकसा	398.399	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	12	झुंझराकसा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./50/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (i) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007).

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F-4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jhunjharakasa	398.399	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	12	Jhunjharakasa	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/51/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची वें दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपटित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों को शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	गजकन्हार	193.155	उत्तर—कक्ष 274 दक्षिण—कक्ष 279 पूर्व—कक्ष 279 पश्चिम—पी.डब्ल्यू.डी. सोड	13	बांधा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./51/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (ii) of sub-section (1) of Section 7 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007),

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the power of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Gajkanhar	193.155	North—Beat 274 South—Beat 279 East—Beat 279 West—PWD Road	13	Bandha	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/52/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम वन कुल (2)	वनग्राम सामाजिक (3)	पटवारी हल्का (4)	ग्राम पंचायत वन नाम (5)	तहसील (6)	जिला (7)
1.	कोपा	160.872	उत्तर—जगार दक्षिण—जगार पश्चिम—जगार पूर्व—जगार	13	बांधा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No.52/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (n) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F-4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of the Revenue officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Taluk	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bandha	166.872	North—Forest South—Mohmalla East—Gajkanhar West—Guhannala	13	Bandha	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

दिनांक 10/01/2014.—इस अधिसूचित भवनालिंग और उन्न्य परंपरागत वन निवासी (वन आधिकारी की मतदाता) अधिकारीकरण, 2006 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत विलावन वन अधिकारी समिति धमतरी के द्वारा नीचे वर्णित वनों को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तित करने संबंधी वन अधिकारी की मान्यता प्रदान की गई है।

जी: वत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की आधिकृत वन क्रमांक एफ 4-137/स्थान-1/2013 दिनांक 01-01-2014 अधिकारीकरण द्वारा संभाला भु-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपड़ित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व द्वारा एवं वरक स्वयं वंदेवत अधिकृतियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

उत्तराख, छत्तीसगढ़ भु-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा ग्रन्त शक्तियों को प्रदोष व लालू हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि नीचे लिखी वन सूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	गोहननाला	287.042	उत्तर—कोलियारी दक्षिण—बॉधा पूर्व—जंगल पश्चिम—सरईटोला	13	गोहननाला	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./53/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Guhannala	287.042	North—Koliyari South—Bandha East—Forest West—Saraitola	13	Guhannala	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/54/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	ज़िला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दुगली	324.589	उत्तर—जंगल दक्षिण—कोलियारी पूर्व—जंगल पश्चिम—कोहाबाहरा	13	दुगली	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./54/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

No.	Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1	Dugli	324.589	North—Forest South—Koliyari East—Forest West—Kauhabahra	13	Dugli	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/55/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा,

वन ग्राम का नाम (2)	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में) (3)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
दिनकरपुर	268.741	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	13	मुनईकेरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./55/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (3)	Patwari Halka Number (4)	Name of Gram Panchayat (5)	Tahsil (6)	District (7)
1.	Dinkarpur	266.741	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	13	Munaikera	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी

## अधिसूचना

क्रमांक/56/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोब़र्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (3)	पटवारी हल्का नंबर (4)	ग्राम पंचायत का नाम (5)	तहसील (6)	जिला (7)
1.	मुनईकेरा	96.306	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—भोभलाबाहरा पश्चिम—जंगल	13	मुनईकेरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

NOTIFICATION

No./56/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Munaikera	98.306	North—Forest South—Forest East—Bhobhlabahara West—Forest	13	Munaikera	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

\*अधिसूचना

क्रमांक/57/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शक वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी दस्तावेज अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, धमतरी, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा,

इसके बारे में :

क्र. वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकमा (2)	वनग्राम सी.पी. (3)	पटजाति (4)	ग्राम पंचायत (5)	सहनियत (6)	सहनियत (7)	सिला (8)
1. देवगांव	234.925	उत्तर—जंगल पश्चिम—लगान पूर्व—लगान पश्चिम—लगान	13	मुनईकरा	नगरी	धमतरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./58/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kauhababra	293.935	North—Forest South—Koliyari East—Dugli West—Forest	13	Kauhababra	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/59/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वागा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गटन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों को शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इन्द्रद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकमा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कोलियारी	322.905	उत्तर—कौहाबाहरा दक्षिण—सरईटोला पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	13	दुगली	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./58/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kauhabahra	293.935	North—Forest South—Koliyari East—Dugli West—Forest	13	Kauhabahra	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/59/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपन्ति धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बोर्ड अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इन्द्रद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, इत्यतः—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्काबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कोलियारी	322.905	उत्तर—कौहाबाहरा दक्षिण—सरईटोला पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	13	दुगली	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./59/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Koliyari	322.905	North—Kauhabahra South—Saraitola East—Forest West—Forest	13	Dugli	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/60/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अथात्—

स. अ.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कड़ा (क्षेत्रफल)	वनग्राम संभार	पटवारी हल्का मंडर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	इलटलने वा.	157.278	इसर—डोंगरहुला टीक्ष्ण—जंगल पुक—जंगल मुहिचम—जंगल	14	बिलभदर	नगरी	धमतरी

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2014

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./60/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Daldali-A	157.278	North—Dongardula South—Forest East—Forest West—Forest	14	Bilbhaddar	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/61/2013.—यह: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यह: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपाठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम ह अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दलदली ब.	28.051	उत्तर—दलदली अ. दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	14	बिलभद्र	नगरी	धमतरी

2006  
सूची मेंमाध्यम से  
ने संबंधीलाते हुए,  
ग्राम होगा,

जिला

(8)

धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./61/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Daldali-B	28.051	North—Daldali-A South—Forest East—Forest West—Forest	14	Bilbhaddar	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/62/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	कर्धांटी	185.038	उत्तर—जंगल दक्षिण—बोकराकट्टा पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	15	मुकंदपुर	नगरों	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./62/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Karraghati	185.038	North—Forest South—Bokra Katta East—Forest West—Forest	15	Mukundpur	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/63/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बोर्डर अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरक्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस्टड्यूट्री, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा,

दर्शात् :—

सं. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	तुमबहरा	32.235	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	16	नगर पंचायत नगरी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./63/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tumbahara	32.235	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	16	Nagar Panchayat Nagri	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/64/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	जबरा	134.177	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	16	मुनईकेरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./64/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Jabarra	134.17	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	16	Munaikera	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/65/2013,—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

S. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	खरका	63.777	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	16	भैसामुड़ा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./65/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Kharka	63.777	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	16	Bhainsamuda	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/66/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपर्चित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरक्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को व्योग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्काबा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (3)	पटवारी हल्का नंबर (4)	ग्राम पंचायत का नाम (5)	तहसील (6)	जिला (7)
1.	चारगांव	211.751	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	17	भैसामुड़ा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./66/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Chargaon	211.751	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	17	Bhainsamuda	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/67/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजरव ग्राम का गठन करने संबंधी दोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, दस्तावेज, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, इसका दर्शातः—

सं. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	मटियाबाहरा	119.661	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	18	भैंसामुड़ा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./67/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Matiya Bahra	119.661	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	18	Bhainsamuda	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/68/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदेश्वर अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकमा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	भैसामुड़ा	160.081	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	18	भैसामुड़ा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./68/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bhainsamuda	160.081	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	18	Bhainsamuda	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/69/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी चंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	चंदनबाहरा	143.663	उत्तर—आमानाला दक्षिण—सोदूर नदी पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	18	फरसिंया	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./69/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Chandan Bahra	143.663	North—Aamanala South—Sondhur River East—Forest West—Forest	18	Farsiya	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/70/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्काबा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	घोरागांव	63.242	उत्तर—कक्ष क्र. 383 दक्षिण—कक्ष 383 पूर्व—छोटेगोबरा पश्चिम—कक्ष 375	18	बोडरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./70/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Ghoragaon	63.242	North—Beat 383 South—Beat 383 East—Chhote Gobra West—Beat 375	18	Bodra	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/71/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपटित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	टांगापानी	254.234	उत्तर—जंगल दक्षिण—कोगेरा पूर्व—भड़सिवना पश्चिम—जंगल	23	टांगापानी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./71/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tangapani	254.234	North—Forest South—Kongera East—Bhadseona West—Forest	23	Tangapani	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/72/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपूर्ण धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कम (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	भड़सिवना	318.375	उत्तर—जंगल दक्षिण—बिरगुड़ी पूर्व—खड़पथरा पश्चिम—टांगापानी	23	भड़सिवना	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./72/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Bhadseona	318.375	North—Forest South—Birgudi East—Khadpathara West—Tangapani	23	Bhadseona	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/73/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपृष्ठि धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	गोरसानाला	202.636	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	23	टांगापानी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No.73/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned,

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Gorsanala	202.636	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	23	Tangapani	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/74/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 संहितित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बांसपानी	246.453	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—जंगल पश्चिम—जंगल	23	बांसपानी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./74/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Banspani	246.453	North—Forest South—Forest East—Forest West—Forest	23	Banspani	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/75/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्काबा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	जुनवानी	73.826	उत्तर—कोंगेरा दक्षिण—डुबान पूर्व—डुबान पश्चिम—जंगल	23	टांगापानी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./75/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Junwani	73.826	North—Kongera South—Duban East—Duban West—Forest	23	Tangapani	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/76/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरक्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	कोंगेरा	200.259	उत्तर—टांगापानी दक्षिण—जुनवाना पूर्व—बिरगुड़ी पश्चिम—जंगल	23	भड़सिवना	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./76/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

Sr. No.	Name of forest village in Hindi	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	लंगो	200.259	North—Tangapani South—Junwani East—Birgudi West—Forest	23	Bhadseona	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/77/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपाठि धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा,

स्र. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्काबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	हिरोडीह	83.294	उत्तर—जंगल दक्षिण—जंगल पूर्व—बोकराबेड़ा पश्चिम—जंगल	24	बेलगांव	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./77/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Hirridih	83.294	North—Forest South—Forest East—Bokra Beda West—Forest	24	Belargaon	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/78/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के छण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 संह पठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोब़ूझ अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताशरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होंगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (3)	पटवारी हल्का नंबर (4)	ग्राम पंचायत का नाम (5)	तहसील (6)	जिला (7)
1.	बोकराबेडा	139.837	उत्तर—महानदी दक्षिण—गढ़डोंगरी पूर्व—लटियारा पश्चिम—हिरींडीह	26	गढ़डोंगरी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./78/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Bokra Beda	139.837	North—Mahanadi River South—Gadhdongari East—Latiyara West—Hiridih	26	Gadhdongari	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/79/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 को उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में घरिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कड़ी (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	बरोली	96.891	उत्तर—कक्ष 345 दक्षिण—कक्ष 341 पूर्व—कक्ष 344 पश्चिम—कक्ष 339	26	कट्टीगांव	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./79/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Baroli	96.891	North—Beat 345 South—Beat 341 East—Beat 344 West—Beat 339	26	Kattigaon	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/80/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मरियामारी	100.724	उत्तर—कक्ष 340, 336 दक्षिण—कक्ष 338 पूर्व—कक्ष 340, 341 पश्चिम—कक्ष 337	26	कट्टीगांव	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./80/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mariyamari	100.724	North—Beat 340, 336 South—Beat 338 East—Beat 340, 341 West—Beat 337	26	Kattigaon	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/81/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सिंगनपुर	168.491	उत्तर—कक्ष 329 दक्षिण—कक्ष 327 पूर्व—कक्ष 330 पश्चिम—कक्ष 325	26	कटटीगांव	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./81/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Singanpur	168.491	North—Beat 329 South—Beat 327 East—Beat 330 West—Beat 325	26	Kattigaon	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/82/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपाठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का ग्रन्त करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रदान में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अथात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कट्टीगांव	114.873	उत्तर—कक्ष 333 दक्षिण—कक्ष 319 पूर्व—कक्ष 335 पश्चिम—327	26	कट्टीगांव	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./82/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Kattigaon	114.873	North—Beat 333 South—Beat 319 East—Beat 335 West—Beat 327	26	Kattigaon	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/83/2013.—यह: अनुरूपित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यह: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहायित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	बिरनासिल्ली	152.120	उत्तर—रतावा दक्षिण—कक्ष 354 पूर्व—कक्ष 355 पश्चिम—कक्ष 352 मुख्यमार्ग	29	बिरनासिल्ली	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./83/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Birnasilli	152.120	North—Ratawa South—Beat 354 East—Beat 355 West—Beat 325 Main Road	29	Birnasilli	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/84/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बम्हनीनभरी	143.348	उत्तर—कक्ष क्र. 211 दक्षिण—कक्ष 213 पूर्व—कक्ष 356 पश्चिम—कक्ष 214	29	लखनपुरी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./84/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F-4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Bamhneen Bharri	143.348	North—Beat 211 South—Beat 213 East—Beat 356 West—Beat 214	29	Lakhan Puri	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/85/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	आमगांव	145.889	उत्तर—कक्ष 343 दक्षिण—कक्ष 308 पूर्व—कक्ष 306, 307 पश्चिम—कक्ष 342	30	रतावा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./85/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Amgaon	145.889	North—Beat 343 South—Beat 308 East—Beat 306, 307 West—Beat 342	30	Ratawa	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/86/2013.—यहत: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खाड़ (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार रामिति धमतरी के द्वाग नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यहत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/प्रात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहप्रित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बहीगांव	137.714	उत्तर—कक्ष 308 दक्षिण—कक्ष 296 पूर्व—कक्ष 307 पश्चिम—कक्ष 309 नाला	30	बिरनासिल्ली	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./86/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Bahigaon	137.714	North—Beat 308 South—Beat 296 East—Beat 307 West—Beat 309 Nala	30	Birnasilli	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/87/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सौमांड (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	कारीपानी	81.773	उत्तर—कक्ष 287 दक्षिण—कक्ष 264, 270 पूर्व—कक्ष 262 पश्चिम—कक्ष 265	30	बोरई	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./87/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Karipani	81.773	North—Beat 287 South—Beat 264, 270 East—Beat 262 West—Beat 264	30	Borai	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/88/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्काबा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (3)	पटवारी हल्का नंबर (4)	ग्राम पंचायत का नाम (5)	तहसील (6)	जिला (7)
1.	बुडरा	67.016	उत्तर—कक्ष 268 दक्षिण—बोरई पूर्व—कारीपानी पश्चिम—बस्तर बुडरा	30	बोरई	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./88/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014, under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Budra	67.016	North—Beat 268 South—Borai East—Karipani West—Bastar Bodra	30	Borai	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/89/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपटित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरक्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्काम (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	गहनासियार	144.886	उत्तर—नवागांव दक्षिण—भीरागांव पूर्व—कक्ष 206 पश्चिम—मौहाबाहरा	31	नवागांव	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./89/2013.— Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Gahna Siyar	144.886	North—Nawagaon South—Bhiragaon East—Beat 206 West—Mauhabahra	31	Nawa Gaon	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/90/2013.—यह: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यह: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का ठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरक्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को इतेहां में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकमा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	लिलांज	125.042	उत्तर—कक्ष 303 दक्षिण—कक्ष 205 पूर्व—पक्की सड़क पश्चिम—कक्ष 200	31	नवागांव नगरी	धमतरी	

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./90/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lilanj	125.042	North—Beat 303 South—Beat 205 East—Road West—Beat 200	31	Nawa Gaon	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/91/2013.—यह: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यह: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मौहाबाहरा	312.137	उत्तर—नवागांव दक्षिण—कक्ष 209 पूर्व—कक्ष 208 पश्चिम—कक्ष 205	31	मौहाबाहरा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./91/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90<sup>g</sup> read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Mauhabahra	312.137	North—Nawagaon South—Beat 209 East—Beat 208 West—Beat 205	31	Mauhabahra	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/92/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बन्दोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	संदबाहरा	99.887	उत्तर—कक्ष 174 दक्षिण—कक्ष 170 पूर्व—कक्ष 171 पश्चिम—कक्ष 173	32	करही	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./92/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision se (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of relevant officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue from the date of this notification, namely :—

Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
Sandbahra	99.887	North—Beat 174 South—Beat 170 East—Beat 171 West—Beat 173	32	Karahi	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/93/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 93 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में 1 ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा,

वन ग्राम का नाम (2)	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में) (3)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
अरसीकन्हार	161.733	उत्तर—कक्ष 192 दक्षिण—कक्ष 178 पूर्व—कक्ष 190 पश्चिम—कक्ष 193	32	मेचका	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./93/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 0 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be a revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Arsikanhar	161.733	North—Beat 192 South—Beat 178 East—Beat 190 West—Beat 193	32	Mechka	Nagri	D

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/94/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपाठि धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन कर्त्तव्य दोषीय अधिकारियों को शक्तियां अधोहस्ताकरक्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकमा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	फरसगांव	102.678	उत्तर—कक्ष 213 दक्षिण—कक्ष 220 पूर्व—कक्ष 302 पश्चिम—कक्ष 219	32	बिरनसिल्ली	नागरी	धम

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./92/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision se (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of revenue officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
Sandbahra	99.887	North—Beat 174 South—Beat 170 East—Beat 171 West—Beat 173	32	Karahi	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/93/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 93 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा,

वन ग्राम का नाम (2)	ग्राम का कुल रक्बा (हेक्टेयर में) (3)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
अरसीकन्हार	161.733	उत्तर—कक्ष 192 दक्षिण—कक्ष 178 पूर्व—कक्ष 190 पश्चिम—कक्ष 193	32	मेचका	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./93/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Arsikanhar	161.733	North—Beat 192 South—Beat 178 East—Beat 190 West—Beat 193	32	Mechka	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/94/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपाठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरक्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकमा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (3)	पटलारी हल्का नंबर (4)	ग्राम पंचायत का नाम (5)	तहसील (6)	जिला (7)
1.	फरसगांव	102.678	उत्तर—कक्ष 213 दक्षिण—कक्ष 220 पूर्व—कक्ष 302 पश्चिम—कक्ष 219	32	बिरनसिल्ली	चारी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

NOTIFICATION

No./94/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of competent officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue e, from the date of this notification, namely :—

o.	Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
	Farsagaon	102.678	North—Beat 213 South—Beat 220 East—Beat 302 West—Beat 219	32	Birnassilli	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/95/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में त वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए द्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, धमतरी, घोषित किया जाता है।

सं. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	टोटाझरिया	112.880	उत्तर—कक्ष 214 दक्षिण—कक्ष 213 पूर्व—कक्ष 215 पश्चिम—कक्ष 219	32	बिरनसिल्ली	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./95/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Thothajhriya	112.880	North—Beat 214 South—Beat 213 East—Beat 215 West—Beat 219	32	Birnasilli	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/96/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	मांदागिरी	70.408	उत्तर—कक्ष 170 दक्षिण—कक्ष 168 पूर्व—कक्ष 169 पश्चिम—कक्ष 167	32	करही	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./96/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

No.	Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Madagiri	70.408	North—Beat 170 South—Beat 168 East—Beat 169 West—Beat 167	32	Karhi	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/97/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में वर्त वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी नियमसंगत अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, द्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, भावतः—

I. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (3)	पटवारी हल्का नंबर (4)	ग्राम पंचायत का नाम (5)	तहसील (6)	जिला (7)	(8)
1.	ठेनही	126.247	उत्तर—कक्ष 395 दक्षिण—तुमहीबहार पूर्व—गाताभरी पश्चिम—196	32	ठेनही	नगरी	धमतरी	

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./97/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Thenahi	126.247	North—Beat 395 South—Tumdibahar East—Gayatabharri West—Beat 196	32	Thenahi	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/98/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) प्रधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का ठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को गोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	दौड़उर्फ पण्डीपानी	85.678	उत्तर—कक्ष 387 दक्षिण—कक्ष 387 पूर्व—कक्ष 386 पश्चिम—कक्ष 386	32	ठेनही	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

o./98/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of s relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision 1) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

nd Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 ion 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

herefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue from the date of this notification, namely:—

Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
Mad Urf Indripani	85.678	North—Beat 387 South—Beat 387 East—Beat 386 West—Beat 386	32	Thenahi	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

मांक/99/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (न् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में म को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

४ यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से -राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताशकर्ता में निहित किया गया है।

तएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, विषेष किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा,

वन ग्राम का नाम (2)	ग्राम का कुल रक्काबा (हेक्टेयर में) (3)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
गाताबाहरा	129.378	उत्तर—कक्ष 159 दक्षिण—कक्ष 236 पूर्व—कक्ष 233 पश्चिम—कक्ष 262	32	खल्लारी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./99/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Gayata Bahara	129.378	North—Beat 159 South—Beat 236 East—Beat 233 West—Beat 262	32	Khallari	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/100/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आमझर	196.338	उत्तर—कक्ष 229 दक्षिण—कक्ष 231 पूर्व—कक्ष 279 पश्चिम—कक्ष 232	32	खल्लारी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./100/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of its relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014, section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village from the date of this notification, namely :—

Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
Amjhar	196.338	North—Beat 229 South—Beat 231 East—Beat 279 West—Beat 232	32	Khallari	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/101/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

प्रौढ़ यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा,

वन ग्राम का नाम (2)	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में) (3)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
मुहकोट	184.300	उत्तर—कक्ष 220 दक्षिण—कक्ष 229 पूर्व—कक्ष 299 पश्चिम—कक्ष 227	32	खल्लारी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./101/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Muhkot	184.300	North—Beat 220 South—Beat 229 East—Beat 299 West—Beat 227	32	Khallari	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/102/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गंठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रिसगांव	346.386	उत्तर—उजरावन दक्षिण—आमाबहार पूर्व—कक्ष 148 पश्चिम—कक्ष 164	32	रिसगांव	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./102/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of Section 90 relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue e, from the date of this notification, namely :—

o.	Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
	Risgaon	346.386	North—Uttawan South—Amabahar East—Beat 148 West—Beat 164	32	Risgaon	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/103/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में त वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपटित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरक्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, द्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, ति :—

क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रकमा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (3)	पटवारी हल्का नंबर (4)	ग्राम पंचायत का नाम (5)	तहसील (6)	जिला (7)	(8)
1.	जोरातराई	204.530	उत्तर—बागनदी दक्षिण—तौरेंगारेन्ज पूर्व—कक्ष 150 पश्चिम—कक्ष 149	32	करही	नगरी	धमतरी	

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./103/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provisions of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2013 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Joratarai	204.530	North—Baug River South—Taurenga Range East—Beat 150 West—Beat 149	32	Karhi	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/104/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूचित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम हो अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कारा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
1.	करही	105.203	उत्तर—कक्ष 157 दक्षिण—कक्ष 151 पूर्व—आमाबहार पश्चिम—कक्ष 164	32	करही	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./102/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision use (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of Section 90 relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue e, from the date of this notification, namely :—

०.	Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
	Risgaon	346.386	North—Ugawan South—Amabahar East—Beat 148 West—Beat 164	32	Risgaon	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/103/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में त वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, द्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, ति :—

क्र.	वन ग्राम का नाम (1)	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में) (2)	वनग्राम सीमाएं (3)	पटवारी हल्का नंबर (4)	ग्राम पंचायत का नाम (5)	तहसील (6)	जिला (7)
1.	जोरातराई	204.530	उत्तर—बागनदी दक्षिण—तौरेंगरेन्ज पूर्व—कक्ष 150 पश्चिम—कक्ष 149	32	करही	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./103/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Joratarai	204.530	North—Baug River South—Taurenga Range East—Beat 150 West—Beat 149	32	Karhi	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/104/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक २ सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकमा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	करही	105.203	उत्तर—कक्ष 157 दक्षिण—कक्ष 151 पूर्व—आमाबहार पश्चिम—कक्ष 164	32	करही	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

04/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of lating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision f sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recogni Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

before, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue the date of this notification, namely :—

Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
Karhi	105.203	North—Beat 157 South—Beat 151 East—Amabahar West—Beat 164	32	Karhi	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/105/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, धमतरी नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा,

वन ग्राम का नाम (2)	ग्राम का कुल रक्कड़ा (हेक्टेयर में) (3)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
मासुलखोई	219.170	उत्तर—कक्ष 164 दक्षिण—तौरेंगारेन्ज पूर्व—कक्ष 153 पश्चिम—कक्ष 154	32	करही	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./105/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Masulkhoyi	219.170	North—Beat 164 South—Taurenga Range East—Beat 153 West—Beat 154	32	Karhi	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/106/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एवं राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कार (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	साल्हेभाठ	71.320	उत्तर—कक्ष 233 दक्षिण—घुमरनाला पूर्व—कक्ष 252 पश्चिम—कक्ष 236	32	खल्लारी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./106/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision use (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of concerned officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
Salhebhath	71.320	North—Beat 233 South—Dhumar Nala East—Beat 252 West—Beat 236	32	Khallari	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/107/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निकासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपाठि धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी वन अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरक्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, —

वन ग्राम का नाम (2)	ग्राम का कुल रक्काबा (हेक्टेयर में) (3)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
खल्लारी	121.527	उत्तर—कक्ष 166 दक्षिण—कक्ष 156 घुमरनाला पूर्व—कक्ष 238 पश्चिम—कक्ष 253	32	खल्लारी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./107/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Khallari	121.527	North—Beat 166 South—Beat 156 Dumar Nala East—Beat 238 West—Beat 253	32	Khallari	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/108/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरक्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्का (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	चमेंदा	175.695	उत्तर—कक्ष 240 दक्षिण—कक्ष 241 पूर्व—कक्ष 239 पश्चिम—तौरेनारेंज	32	खल्लारी	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./108/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 read with Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

o. Name of forest village (2)	Total Area of village (in hectare) (3)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
Chameda	175.695	North—Beat 240 South—Beat 241 East—Beat 239 West—Taurenga Range	32	Khallari	Nagri	Dhamtari

धमतरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

## अधिसूचना

क्रमांक/109/2013.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति धमतरी के द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से द्वं भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकरक्ती में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, घोषित किया जाता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा,

वन ग्राम का नाम (2)	ग्राम का कुल रक्कमा (हेक्टेयर में) (3)	वनग्राम सीमाएं (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)	तहसील (7)	जिला (8)
एकावारी	133.544	उत्तर—कक्ष 281 दक्षिण—कक्ष 270 पूर्व—कक्ष 275 पश्चिम—कक्ष 280	32	लिखमा	नगरी	धमतरी

Dhamtari, the 10th January 2014

## NOTIFICATION

No./109/2013.—Whereas the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue villages by the Forest Rights Committee Dhamtari under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village (1)	Total Area of village (in hectare) (2)	Boundaries of forest village (4)	Patwari Halka Number (5)	Name of Gram Panchayat (6)	Tahsil (7)	District (8)
1.	Akawari	133.544	North—Beat 281 South—Beat 270 East—Beat 275 West—Beat 280	32	Likhama	Nagri	Dhamtari

एन. एस. मंडावी,  
कलेक्टर.